

REGISTERED

प्रेषक

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त,
हरियाणा राज्य।
2. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी,
हरियाणा राज्य।
3. कल्याण अधिकारी (महिला)
फरीदाबाद/पानीपत।
4. सभी श्रम निरीक्षक/श्रम निरीक्षक (कल्याण)
हरियाणा राज्य।

क्रमांक :- 37027-154


दिनांक:- 10-5-2012

विषय: पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9अ में संशोधन की अधिसूचना। दिनांक 11.04.2012
अनुसार किए गये संशोधन की परिपालना वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित Haryana Gov. Gaz (Extra),
April, 11 2012 की प्रति जिसमें पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9अ में संशोधन किया गया
है तथा संशोधन अनुसार मास अप्रैल, 2012 से 10 रुपये श्रमिक (प्रतिमास) व 20 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिमास नियोक्ता
की ओर से उसमें शामिल करके अंशदान वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड में अदा करेंगे।

अतः उपरोक्त नोटिफिकेशन की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि अधिनियम की संशोधित धारा के अनुसार
मास अप्रैल, 2012 से संशोधित दर अनुसार अंशदान की राशि मुख्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करवाए।


उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
कृत: कल्याण आयुक्त हरियाणा।

PART-I

HARYANA GOVERNMENT
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 11th April, 2012

No. Leg. 10/2012.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 29th March, 2012, and is hereby published for general information:—

HARYANA ACT NO. 8 OF 2012

THE PUNJAB LABOUR WELFARE FUND (HARYANA AMENDMENT)
ACT, 2012

AN

ACT

further to amend the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2012.

2. In sub-section (1) of section 9A of the Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965, for the words "five rupees" and "ten rupees", the words "ten rupees" and "twenty rupees" shall respectively be substituted.

Short title.

Amendment of section 9A of Punjab Act 17 of 1965.

MANJIT SINGH,
Secretary to Government Haryana,
Law and Legislative Department.